

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 520]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/05/35.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/5/6 दिनांक 25-07-2019 जारी की गई थी।

2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 27-07-2020 द्वारा जिला धमतरी में विद्यमान 53 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 21 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला धमतरी के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 15-35/15-02/2019/5/7 दिनांक 31-08-2020 जारी की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार या किसी व्यक्ति से दिनांक 10.09.2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3. निर्धारित समयावधि में जिला धमतरी की समितियों के पुनर्गठन हेतु 12 दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। विभाग के पत्र दिनांक 01-10-2020 द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी को प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया। उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी के प्रतिवेदन दिनांक 06-10-2020 द्वारा 09 दावा/आपत्तियां अमान्य करने तथा 03 दावा/आपत्तियां मान्य करने का अभिमत विभाग को प्रेषित किया गया है एवं सोसाइटियों के पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अनुसूचियां प्रेषित की गई हैं।

4. विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/5/6 दिनांक 25-07-2019 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी के प्रतिवेदन दिनांक 06-10-2020 एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 09-10-2020 पर विनिश्चय उपरांत, राज्य शासन एतद्वारा जिला धमतरी में विद्यमान 53 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची दो एवं तीन में उल्लेखित 21 नवीन सोसाइटियों का गठन करने एवं अनुसूची एक में उल्लेखित सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में संशोधन करने की कार्यवाही हेतु “जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना, 2019**

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :-

- (क) यह योजना "जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला धमतरी की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :- इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर।
- (ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :-

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या
- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) "अनुसूची-एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) "अनुसूची-दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) "अनुसूची-तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तर्गत कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

08. अधिकार, हित और कर्तव्य आदि :-

- (क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तर्गत कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।
- (ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियां :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की
पुनर्गठन योजना 2019

अनुसूची-एक

क्र०	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्य क्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिंगपुर, पंजीयन क्रमांक-1819	राजाडेरा, हथबंद, जलकुंभी	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बेलरदोना, पंजीयन क्रमांक-1435
		बूढाराव	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित मगरलोड, पंजीयन क्रमांक-679

अनुसूची-दो

क्र 0	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)
1	2	3	4
1	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित शंकरदाह, पंजीयन क्रमांक-38	लोहरसी	परसतराई, खरतुली, लोहरसी
2	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित भोथली, पंजीयन क्रमांक-37	कण्डेल	कण्डेल, गागरा, देवपुर, पीपरछेड़ी
3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित संबलपुर, पंजीयन क्रमांक-528	लिमतरा	लिमतरा, परेवाडीह, धौराभाठा
4	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा, पंजीयन क्रमांक-944	कुरमातराई	कुरमातराई, पीपरछेड़ी, रीवागहन, दरगहन,
5	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित तरसीवा, पंजीयन क्रमांक-69	कुरा (बागतराई)	कुरा, अमलीडीह, बागतराई, मडाईभाठा, मोखा, भोथीपार
6	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित नगरी पंजीयन क्रमांक- 694	फरसियाँ	गोरेगांव, टेगना, सामतरा, फरसियाँ, बोडरा, निरबेडा, चन्दनबाहरा, घोरागांव, भैसामुडा, खुदरपानी, मटियाबाहरा
7	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बेलरगांव, पंजीयन क्रमांक-794	सेमरा	सेमरा, भेजरीरावन, बिरगुडी, पंडरीपानीरै, खडपथरा, खुटार, भडसिवना, कोंगेरा, जुनवानी, टांगापानी, गोरसानाला, बांसपानी, साहनीखार
8	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गट्टासिल्ली प.क्र.-1486	डोगरडुला	डोगरडुला, दलदली अ, दलदली ब, बिलभदर, अछोली, परसापानी, राजपुर, कल्लेमेटा, गजकन्हार, बांधा, मोहमल्ला (माल), मोहमल्ला (रै), गुहाननाला, कोलियारी, केरामुडा, दुगली, कौहाबाहरा, दिनकरपुर, देवगांव, मुनईकेरा, पालगांव
9	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कुकरेल, पंजीयन क्रमांक-1465	सलोनी	सलोनी, दरगहन, छुही, साल्हेभाट
10	वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित मेघा, पंजीयन क्रमांक-137	भोथीडीह	भोथीडीह, रांकाडीह, कमरौद, सांकरा, चारभाठा, बोडरा
11	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित करेलीबडी, पंजीयन क्रमांक-217	कुण्डेल	कुण्डेल, धौराभाठा, भोथा, हरदी, बेलौदी, मोतिमपुर
12	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित भेण्डरी, पंजीयन क्रमांक-763	चंदना	बुडेनी, चंदना, चन्द्रसुर, नवागांव, परसट्ठी, नहरडीह
13	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कुरुद, पंजीयन क्रमांक-660	कुहकुहा	कुहकुहा, भरदा, दहदहा, मेडरका, मौरीखुर्द
14	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित गाड़ाडीह, पंजीयन क्रमांक-755	मंदरौद	मंदरौद, सिधौरीकला, सिधौरीखुर्द, सेलदीप, जोरातराई
15	वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित भांडागांव, पंजीयन क्रमांक-817	बगौद	बगौद, भुसरेंगा, चोरभट्ठी, कन्हारपुरी, भालुझुलन
16	वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चर्चा, पंजीयन क्रमांक-969	कातलबोड़	कातलबोड़, खैरा, कोकड़ी
17	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित दर्रा, पंजीयन क्रमांक-1047	मौरीकला	मौरीकला, गोजी, धुमा, कठौली
18	वृहत्ताकार कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कोड़ेबोड़, पंजीयन क्रमांक-115	थूहा	थूहा, नवागांव, बंजारी, बंगोली, कुरा, खपरी
19	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित मड़ली, पंजीयन क्रमांक-139	कचना	कचना, नवागांव, कानामुका
20	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित कोसमर्रा, पंजीयन क्रमांक-190	बगदेही	बगदेही, भेण्डरवानी, चिरपोटी, दर्री

अनुसूची-तीन

क्र	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4	5
1	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिहावा, पंजीयन क्रमांक-698	खम्हरिया	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सांकरा, पंजीयन क्रमांक- 873	—
		रावनसिंघी, मुल्हारी, रानीगांव, पाईकभाटा, पदमपुर, घटुला, पाण्डरवाही, पोड़ागांव, भीषमपुरी, लखनपुरी, बम्हनीनभरी, रतावा, आमगांव, बिरनासिल्ली, बहीगांव	—	घटुला